

कोविड – 19 महामारी के परिणामस्वरूप विश्व भर की बैंकिंग प्रणाली ऋण वृद्धि को पुनर्जीवित करने के साथ अपनी सुदृढ़ता बनाए रखने की चुनौतियों से जूझ रही है। भारत में, यद्यपि बैंकिंग सुदृढ़ता के सूचक आस्ति गुणवत्ता विराम से आच्छादित हैं पर आसन्न दबाव की तैयारी में बैंक पूँजी जुटा रहे हैं। भविष्य में, ये चुनौतीपूर्ण समय बैंकिंग क्षेत्र के लिए नए अवसर ला सकते हैं और रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के साथ एक समर्थकारी परिवेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

I.1 इस रिपोर्ट के प्रकाशन के समय विश्व भर की वित्तीय प्रणालियां अभूतपूर्व चुनौतियों से गुजर रही हैं। उनके सामने एक ओर जहाँ ऋण का प्रवाह बनाए रखने का संघर्ष है, वहीं महामारी के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर बकाया और तुलन-पत्रों के दबाव के लिए उन्हें तैयार होना है। इसके अतिरिक्त, विनियामकीय सुधारों के ठहरे हुए कार्यान्वयन को फिर शुरू करना है, पूँजी व चलनिधि बफरों को फिर से बनाना एवं बढ़ाना है तथा आर्थिक सुधारों के पोषण में फिर से लगना है।

I.2 घरेलू स्तर पर, एक अभूतपूर्व आर्थिक संकुचन ने बैंक और गैर-बैंक इकाइयों की वित्तीय स्थिति पर चोट की है और एक व्यापक जोखिम विमुखता का प्रसार किया है जिसने वित्तीय मध्यस्थता के कार्य के प्रभाव को कम किया है। रिज़र्व बैंक की त्वरित कार्रवाइयों ने सुलभ मौद्रिक व चलनिधि स्थितियां, सुव्यवस्थित बाजार तथा सुरक्षित व कार्यशील भुगतान निपटान परिवेश सुनिश्चित किया है। यद्यपि वर्धित आस्ति मूल्यांकन वास्तविक अर्थव्यवस्था से जुड़ा नहीं प्रतीत होता, तथापि कुछ उत्पादक व कोविड-19 ग्रसित क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाहों के रूप में मिलने वाले जीवन अवलंब में कुछ कमी रही है। आगे चलकर, वास्तविक अर्थव्यवस्था का पुनरुज्जीवित होना इस पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी सहज वृत्तियां (एनिमल स्पिरिट्स) वापस आती हैं और बैंकिंग व गैर-बैंकिंग क्षेत्रों की सेहत बहाल होती है।

I.3 इस पृष्ठभूमि में, अध्याय का शेष अंश उन शक्तियों पर परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है जो संभवतः आने वाले समय में वित्तीय क्षेत्र के परितंत्र को आकार देंगे।

बैंकों और एनबीएफसी पर कोविड-19 का प्रभाव

I.4 भारतीय वित्तीय प्रणाली और विशेषतः बैंकों ने सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता, पूँजी स्थितियों और लाभअर्जकता के साथ 2019-20 में पुनरुत्थानशीलता दिखाई। 2020-21 में नीतिगत अवलंब के हटने से बैंकों व गैर-बैंकों के स्वास्थ्य पर कोविड-19 महामारी का आघात पड़ सकता है। अगस्त 2020 के अंत में, वित्तीय प्रणाली (बैंक और एनबीएफसी) के बकाया ऋण के लगभग 40 प्रतिशत ने ऋण स्थगन का लाभ लिया। बैंकों के सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) वाले डेटा में अभी वह दबाव दिख नहीं पा रहा है जो आस्ति गुणवत्ता विराम से आच्छादित है एवं जिसके वित्तीय स्थिरता संबंधी निहितार्थ हैं। नमूने के तौर पर लिए गए कुछ बैंकों के प्रकाशित तिमाही परिणाम बताते हैं कि सितंबर 2020 के अंत में उनके जीएनपीए अनुपात 0.10 प्रतिशत से 0.66 प्रतिशत के ऊँचे दायरे में होते। कोविड -19 प्रावधानीकरण और लाभांशों का पुनर्निवेश उनके तुलन पत्रों को उभरते दबावों से कुछ हद तक बचाएगा।

I.5 प्रारंभिक आकलन बताते हैं कि बैंकिंग प्रणाली के विनियामकीय उद्देश्यों और साथ ही वृद्धि पूँजी के लिए भी संभावित पुनर्पूँजीकरण आवश्यकताएं सामान्य इक्विटी टियर

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2019-20

I (सीईटी I) अनुपात के 150 आधार अंकों (बीपीएस) तक हो सकती हैं। जल्द ही जारी की जा रही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में विभिन्न समष्टि दबाव परीक्षण परिदृश्यों में एससीबी के जीएनपीए और पूँजी पर्याप्तता का अद्यतन आकलन है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पूँजी डालने के लिए अनुदानों (ग्रांट्स) के लिए प्रथम पूरक मांगों में सरकार ने जहाँ रु. 20,000 करोड़ रखे हैं वहीं, पूँजी जुटाने की इष्टतम रणनीति के तौर पर वे बाजार से और अधिक संसाधन उगाह सकते हैं। विवेकपूर्ण ढंग से, निजी क्षेत्र के कुछ बड़े बैंकों (पीवीबी) ने पहले ही पूँजी जुटा ली है और कुछ बड़े पीएसबी ने बाजार की मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार क्रमशः संसाधन जुटाने की योजनाओं की घोषणा की है।

I.6 महामारी के शुरू होने के समय विशिष्ट खिलाड़ियों के अपने-अपने विकास की अवस्था व वित्तीय सेहत, कारोबारी मॉडल और कार्यक्षेत्र के अनुसार उन पर महामारी का प्रभाव अलग-अलग रहा। फलतः उनके जोखिम व अनिश्चितताएं भी अलग-अलग तरह की हैं।

लघु वित्त बैंक

I.7 पहले एनबीएफसी सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसी-एफएमआई) रह चुके लघु वित्त बैंको (एसएफबी) का प्रतिभूतिरहित अग्रिमों (अनसिक्वोर्ड एडवांसेस) में काफी एक्सपोजर बना हुआ है, अपितु वे अपने संविभागों में विविधता लाने की कोशिश में हैं। कृषि व सम्बद्ध गतिविधियों के पुनरुत्थान के रूप में फूटने वाली नई कोपलें इन बैंकों की वित्तीय स्थिति के लिए शुभ संकेत हो सकती हैं। कड़े लॉकडाउन के दौरान इन बैंकों की वसूली क्षमता काफी गिर गई थी लेकिन तब से माह-दर-माह आधार पर सुधार है और हो सकता है महामारी-पूर्व के स्तरों के बराबर आने की शुरुआत वास्तव में हो गई हो।

I.8 इन बैंकों के अल्प-लागत चालू और बचत खाता (कासा) जमाराशि आधार अपेक्षतया छोटे हैं। विद्यमान सुलभ चलनिधि स्थितियां जहाँ उधार व पुनर्वित्त में सहायक हैं जिस पर वे भरोसा करते हैं, वहीं जब कभी वित्तीय स्थितियां तंग

हों, उनको अपने लाभ (बॉटम लाइन) पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा, कुछ एसएफबी में प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) के रूप में जोखिम सहन शक्ति कम है जिससे प्रतिकूल आघात झेल पाने की उनकी क्षमता प्रभावित हो जाती है।

भुगतान बैंक

I.9 भुगतान बैंकों का कारोबारी मॉडल ऐसा है कि अपनी विभिन्न लागतों को पूरा करने के लिए ये केवल लेन-देन व निवेश आय पर निर्भर हैं। बढ़ी हुई बेरोजगारी और विपरीत प्रवास (रिवर्स माइग्रेशन), जिसका संशोधन अभी भी शेष है, के कारण इन बैंकों के आय के साधनों पर दबाव पड़ सकता है। हाल की अवधि में जी-सेक प्रतिफल 16 वर्षों में अपने निम्नतम स्तरों पर चले गए हैं जिससे उनके ब्याज आय पर असर पड़ा है। मुख्यतः उच्च प्रारंभिक संरचनागत लागतों के कारण इनमें से कई बैंक अभी भी लाभ-अलाभ (ब्रेक इवेन) बिंदु पर नहीं पहुँचे हैं। ऋण उत्पादों के अभाव में पूँजीगत निधियों का उत्पादन उनके लिए एक चुनौती पेश करता है।

सहकारी बैंक

I.10 सहकारी बैंकों की पूँजी सदस्यों के योगदान से आती है जिनमें से प्रत्येक को एक वोट का अधिकार होता है, शेयरहोल्डिंग चाहे जितनी हो। इसके साथ शेयर ट्रेडिंग के लिए एक द्वितीयक बाजार (सेकेंडरी मार्केट) के न होने से सहकारी बैंकों द्वारा शेयर पूँजी जुटाना मुश्किल हो गया है। यद्यपि यह समस्या बहुत पुरानी है, हाल की आर्थिक गिरावट के कारण हुए कर्ज चूक / चुकौती स्थगन के कारण इनकी पूँजीगत आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। उचित लागत पर अतिरिक्त पूँजी की उगाही उनके लिए एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आई है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) क्षेत्र

I.11 हाल के आईएलएंडएफएस प्रकरण के बाद एनबीएफसी 2019-20 में सामान्य की ओर बढ़ रहे थे कि कोविड-19 ने उनके काम-काज को प्रभावित कर दिया। वित्तीय प्रणाली के अन्य वर्गों की तुलना में एनबीएफसी पर

असर अधिक था क्योंकि लॉकडाउन के प्रारंभिक चरण में वे कार्य नहीं कर पा रहे थे। आपूर्ति पक्ष की ओर, कम रेटिंग व बिन-रेटिंग वाले एक्सपोजरों के लिए बैंकों की जोखिम प्रवणता घटने के कारण, निधियों के स्रोत घट गए, विशेषतः छोटे एवं मंझोले आकार के एनबीएफसी के लिए। म्यूचुअल फंड उद्योग के शोधन (रिडेम्पशन) दबावों के चलते उनकी वित्तपोषण स्थितियों (फाइनेंसिंग कंडीशंस) पर और असर पड़ा जिससे स्प्रेड्स का विस्तार हुआ। मांग पक्ष की ओर, उस समय व्याप्त आर्थिक संकुचन ने ऋण की उठान को मंद कर दिया।

I.12 रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदमों से इन इकाइयों को चलनिधि बाधाओं और सीमित बाजार पहुँच से पार पाने में सहायता मिली। कुल वाणिज्यिक पत्र (सीपी) निर्गमों (इश्यूएंस) में एनबीएफसी के हिस्से में अप्रैल-अगस्त 2020 की अवधि में गिरावट के बाद सितंबर-अक्टूबर 2020 में तेज वृद्धि हुई। सितंबर 2020 से ऋणात्मक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले एनबीएफसी की कुल उधारियों में बैंकों का हिस्सा विगत दो वर्षों में लगातार बढ़ा है। एनबीएफसी को दिए जाने वाले कुल बैंक उधार में यद्यपि पीएसबी का पलड़ा भारी है, पर मार्च 2020 से कुल बैंक उधार में उनका हिस्सा घटा है और इस रिक्त स्थान की पूर्ति की है पीवीबी ने। बाजार में विश्वास बहाल होने के साथ एनबीएफसी विशिष्ट क्षेत्रों के वित्तपोषण (फाइनेंसिंग) में वृद्धि करने और आर्थिक समुत्थान में सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं।

I.13 आवासीय परियोजनाओं (हाउसिंग प्रोजेक्ट्स) के पूरा होने में विलंब, मजदूरों के विपरीत-प्रवास (रिवर्स-माइग्रेशन) को लेकर अनिश्चितता के चलते लागत में वृद्धि तथा आय में कमी व और नौकरियां खत्म होने से किफायती हाउसिंग सेक्टर में खरीदारों द्वारा निवेश में देरी के कारण आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आगे चलकर, इस क्षेत्र को ऋण आस्तियों की बड़ी चूकों और उच्चतर प्रावधान को झेलने के लिए तैयार होना पड़ सकता है।

I.14 वित्तीय स्थितियों पर कोविड-19 के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, बैंकों, एनबीएफसी- विशेष रूप से 5,000

करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली एनबीएफसी जो जमाराशि नहीं लेती- और यूसीबी को कहा गया कि वे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपने बैलेंस शीट, आस्ति गुणवत्ता, चलनिधि, लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता पर कोविड-19 के गंभीर लेकिन संभाव्य परिदृश्यों के प्रभाव का आकलन करें। इस अग्रसक्रिय मूल्यांकन से इन संस्थाओं को पूंजी में संभावित कमी का अनुमान लगाने में मदद मिलनी चाहिए।

केवाईसी और एएमएल के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

I.15 बैंकिंग कारोबार में बढ़ती जटिलता के साथ अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और धन-शोधन निवारण निदेशों का अनुपालन नहीं करने से होने वाले प्रणालीगत जोखिमों का आकलन महत्वपूर्ण हो गया है। विवेकसम्मत पर्यवेक्षण के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) के सिद्धांतों और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की अपेक्षाओं के अनुरूप बैंकों के केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण हेतु एक जोखिम-आधारित पद्धति विकसित करने के लिए रिजर्व बैंक एक समर्पित पर्यवेक्षी ढाँचा बना रहा है। लक्ष्य यह है कि व्यापक तौर पर एवं समय रहते जोखिम का पता लगाने व आकलन करने की प्रक्रिया सुगम की जाए ताकि बैंकिंग क्षेत्र में धन-शोधन (मनी लॉण्डरिंग), आतंकवाद के वित्त-पोषण (टेररिस्ट फाइनेंसिंग) को पकड़ा जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके।

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियां

I.16 समुचित कॉरपोरेट गवर्नेंस के अभाव और फ्रॉड के कारण हाल में एक बड़े यूसीबी के ढह जाने से यूसीबी में जनता के विश्वास पर खरोच आई है। कानूनी बाधाएं और विचित्र कारक त्वरित समाधान में बाधा पहुँचाते हैं। शेयरहोल्डिंग के स्वरूप और इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों के कारण अतिरिक्त पूंजी जुटाने में बाधाएं हैं। बैंकिंग रेग्यूलेशन ऐक्ट, 2020 में हाल के संशोधन ने पूंजी उगाही की असुविधा को कम किया है। इन बैंकों को पुनर्संरचित या समामेलित करने का अधिकार रिजर्व बैंक को है। पुनश्च, रिजर्व बैंक ने यूसीबी के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढाँचे (एसएएफ) को संशोधित किया है

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2019-20

जिससे वित्तीय रूप से दबावग्रस्त यूसीबी के लिए तेज विनियामकीय कार्रवाई में सहायता मिलेगी।

I.17 टेक्नोलॉजी को अपनाने में यूसीबी अपने समकक्षों से पीछे रहे। इसी संदर्भ में रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी है। इनमें से 99 प्रतिशत से अधिक बैंकों ने इसे अपना लिया है। ग्रामीण सहकारी बैंकों में एक को छोड़कर सभी बैंक सीबीएस अपना चुके हैं। इस प्रगति के बावजूद, सहकारी बैंकों का तकनीकी उन्नयन एक चुनौती बना हुआ है।

I.18 संशोधित स्ट्रेस टेस्टिंग पद्धति के साथ हालिया निरीक्षण चक्र के निष्कर्षों को मिलाकर रिज़र्व बैंक ने कमजोर व नाजुक बैंकों को चिह्नित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। निर्दिष्ट समय-बद्ध लक्ष्यों के साथ सुधार कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है और लगातार निगरानी की व्यवस्था की गई है।

I.19 बैंकिंग के मैदान में नए खिलाड़ी सहकारी बैंकों को स्पर्धा प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी चालित वित्तीय सेवाओं के खिलाड़ियों ने ग्राहकों के लिए विकल्पों की संख्या बढ़ा दी है। अपने जमीनी ग्राहक आधार और इस क्षेत्र के ज्ञान के आधार पर सहकारी बैंक नए ग्राहक आकर्षित कर सकते हैं और मौजूदा ग्राहकों को बनाए रख सकते हैं। एक नई विकास रणनीति में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें तेजी से बदलते परिदृश्य के अनुरूप दृष्टिकोण, प्रक्रिया, कारोबारी मॉडल और रणनीति में परिवर्तन की आवश्यकता है।

एनबीएफसी में विनियामकीय अंतरपणन को कम करना

I.20 कारोबारी मॉडल और कार्य के पैमाने में विभिन्नताओं को देखते हुए 2006 से ही रिज़र्व बैंक ने विभिन्न वर्गों के एनबीएफसी के लिए विभेदक विनियमन और पर्यवेक्षण लागू किए। एक बड़े एनबीएफसी की हाल में विफलता, जिसके प्रतिकूल प्रभाव रहे, के कारण इस विनियामक पद्धति का पुनर्परीक्षण हुआ। प्राथमिक ध्यान अब महत्वपूर्ण बाह्य कारकों वाली एनबीएफसी, जो प्रणालीगत जोखिम में योगदान करते हैं, की पहचान करने और उन्हें उच्चतर विनियमन के अधीन

करने की ओर शिफ्ट होगा। एनबीएफसी वर्गों के बीच व्याप्त विनियामकीय अंतरपणन का नपा-तुला मूल्यांकन आरंभ किया गया है जिससे जोखिमों के प्रसार को कम से कम किया जा सके। चूंकि विनियामकीय उद्देश्य से आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को एनबीएफसी की एक श्रेणी के रूप में देखा जाता है, रिज़र्व बैंक ने एचएफसी और एनबीएफसी के प्रमुख विनियमनों का सामंजस्य पहले ही कर लिया है और सभी के बीच पूर्ण सामंजस्य चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा।

सक्षम रिपोर्टिंग के लिए रेगटेक का प्रयोग

I.21 निवारक अनुपालन, लेन-देन निगरानी और स्वचालित डेटा प्रवाहों में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की विशाल संभावना को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने रेगटेक अपनाने को प्राथमिकता दी है। डिजिटल रिपोर्टिंग के लिए यंत्र-पठनीय विनियम बनाने की परिकल्पना है जिससे अधिक संगति व बेहतर अनुपालन में सहायता मिले।

I.22 रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित इकाइयां पहले से ही केवाईसी/ एएलएम उद्देश्यों, विनियामकीय रिपोर्टिंग, प्रबंध सूचना प्रणाली, भुगतान व अकाउंट एग्रीगेशन के कार्यों तथा उधारकर्ताओं की ऋण-साख आँकने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिगडेटा एनालिसिस जैसे तकनीकी साधनों का प्रयोग कर रही हैं। डेटा और निजता के संरक्षण के रूप में कई लाभों के होते हुए भी टेक्नोलॉजी अपनाने में साइबर जोखिम एक बड़ी चुनौती है। रेग-टेक अपनाने के संबंध में एक व्यापक आधार का सर्वेक्षण करने की रिज़र्व बैंक की योजना है और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर इन साधनों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक सिद्धांत विकसित किए जाएंगे।

अग्रसक्रिय निगरानी के लिए सुपटेक का अपनाया जाना

I.23 ऑफ़साइट सुपरविजन संरचना डेटा एकत्रित करने हेतु पूर्व-निर्धारित प्रारूपों पर काफी निर्भर है और इसमें अशुद्धियों और अधूरी रिपोर्टिंग का जोखिम बना रहता है। अधिक अग्रसक्रिय जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण के लिए रिज़र्व

बैंक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास में है जो सीधे स्रोत प्रणालियों से सुरक्षित ढंग से विशिष्ट डेटा-सेट निकाल सके। विनियामकीय/पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग डेटा में विसंगतियों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के प्रयोग की पड़ताल की जा रही है जिसका प्रयोग भविष्यसूचक विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। इन तकनीकों से समय रहते सूक्ष्म-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण (माइक्रो प्रूडेंशियल सुपरविज़न) तथा कमजोर शाखाओं, दबावग्रस्त एक्सपोजरों, लगातार बने हुए परिचालन जोखिमों, संदिग्ध लेनदेन और गलत आचरण की पहचान में मदद मिलेगी। जोखिम क्षेत्रों और इकाइयों की पहचान करने के लिए रिज़र्व

बैंक अत्याधुनिक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन तकनीकों का भी प्रयोग कर रहा है।

I.24 भविष्य की बात करें तो, भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे पूर्ण जीवनशक्ति वापस प्राप्त कर रही है, बैंकिंग व गैर-बैंकिंग क्षेत्रों के सामने चुनौतीपूर्ण समय और नए अवसर दोनों हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करते हुए वित्तीय मध्यस्थता के नवीन अवसर खुलेंगे और नए कारोबारी मॉडल उभरेंगे। रिज़र्व बैंक ऐसा समर्थकारी परिवेश देने की तैयारी में है जिससे विनियमित इकाइयां इन नवीन अवसरों का दोहन करने को प्रेरित हों तथा वित्तीय स्थिरता बनाई व संरक्षित की जा सके।